purpose other than for which it is obtained.

(v) Assistance from Swiss authorities under IMAC could be obtained even without entering into a bilateral treaty/agreement with Switzerland provided that the requirements of dual criminality and reciprocity are satisfied. Entering into a treaty or agreement would however enable (a) assistance even beyond the provisions of IMAC being extended and (b) placing an obligation on Swiss authorities to provide assistance according to the terms of treaty/agreement.

In the light of the above conclusion, Government is initiating steps to enter into a treaty for mutual assistance in criminal matters with Swiss authorities, and pending conclusion of such a treaty|agreement entering into a Memorandum of Understanding with Swiss authorities for assistance in specific cases of Indians having accounts in Swiss Banks with funds obtained illegally.

Cases launched against firms for economic offences

651. DR. BAPU KALDATE:
SHRI M. S. GURUPADASWAMY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of cases launched against Industrial firms for committing economic offences during the years 1986-87;

(b) whether any of the firms belonging to Tata group of companies have also been involved in the evasion of excise duties;

(c) whether any other firm belonging to Tata group are at present involved in the evasion of or committing economic offences; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (b) Information to the extent posssible is being collected and will be laid on the Table of the House.

Television Network in Orissa

652. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in *Hindustan Times* of June 8, 1987 that the television network in Orissa is in neglect and that people of Orissa are sore over this; and

(b) if so, the reaction of Government thereon and action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT PANA): (a)The Government have seen the news-item in question.

(b) The position in regard to the main points raised in the news-item is indicated in the attached statement.

Statement

1. LATE NIGHT FILMS

All the TV transmitters in Orissa except the one at Bhawanipatna have since commenced telecast of late night films.

2. UNSATISFACTORY QUALITY OF TV TRANSMISSIONS

All the TV Relay Centres in Orissa are generally functioning satisfactorily. The TV transmitter at Rourkela operated at reduced power for some time due to failure of a sub-unit. This has since been rectified. The TV transmitter in Cuttack is also functioning normally except for some occasional interruptions due to failure of equipment and power supply. Besides, interference from some foreign TV signals was reported in the service area of Cuttack Transmitter. This was looked into and found to be freak. Instructions have nevertheless been

issued to keep a close watch on the quality of the reception.

3. INCREASED COVERAGE OF ORISSA

It is the constant endeavour of Doordarshan to project different cultural facets of the country including that of Orissa.

बेरोजगार नवयुवकों के लिए ऋण

653. **श्रीमती रेणुका चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बेरोजगार नवयुवकों को दिए जाने वाले ऋण की राशि में वृद्धि करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्या का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना से है जो 1983–84 में शुरू की गयी थी । इस योजना के अंतर्गत व्यापार के अंग के रूप में पि से सम्बद्ध कार्यों सहित औद्योगिक सेवा तथा व्यापारिक क्षेत्रों में धंधा शुरू करने के लिये 1985–86 तक पात्र हिताधिकारियों को अधिक से अधिक 25,000 रुपये के संयुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाते थे । इस योजना को वर्ष 1986–87 में जारी रखते हुए औद्योगिक धंधों के लिए ऋणों की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दी गयी है ।

इस योजना के अंतर्गत उन शिक्षित बेरोजगार युवकों की सहायता उपलब्ध करायी जाती है जो मैट्रिक या उससे ऊंची परीक्षा पास होते हैं और जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होती है तथा उनके परिवार की वार्षिक आय 10,000 रुपये से अधिक न हो । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से परीक्षा पास उक्त आयु वर्ग के युवक भी इस सहायता के पात्र हैं। इस योजना में सरकार से 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी की भी व्यवस्था है । यह राशि बैंकों के माध्यम से दी जाती है । इस योजना के अंतर्गत मंजूर किये गये ऋणों पर निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से और अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है । बैंक ऋणकर्ताओं से मार्जिन, सांपार्श्विक प्रतिभूति तथा अन्य पार्टी की गारन्टी नहीं मांगते । ऋण से निर्मित परिसम्पत्तियां ही बैंकों के लिये प्रतिभूति होती हैं ।

रुग्ण औद्योगिक एककों को ऋण

654. **श्रीमती रेणुका चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से सरकार द्वारा रुग्ण औद्योगिक एककों को दी गई ऋण राशि लगातार रूप से बढ़ रही है और यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान वर्षवार ऐसी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने ऋण राशियों की बढ़ती हुई समस्या की जांच करने के लिए कोई अध्ययन किया है; यदि हां, तो उस अध्ययन की रिपोर्ट क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार 1984, 1985 और 1986 (सबसे हाल के उपलब्ध) के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के जून के अंत में रुग्ण इकाइयों के नाम बैंक ऋणों की बकाया रकमों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपए)

के अंत में	
जून 1984 . .	3273.91
जून 1985 . .	3805.17
जून 1986 . .	4665.23